आदिम जातियों के तथा कितने अन्य जातियों के हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में इस समय योजना आयोग का कोई कार्यालय नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लंदन में भारतीय उच्चायोग

10090. **श्री मधु लिमये** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के अधिकतर कर्मचारी भारत के स्वतंत्र होने से पहले से वहां पर कार्य कर रहे हैं और उनकी सेवा की शर्तें "ब्रिटिश राजकोष नियमों" द्वारा विनियमित होती हैं, न कि भारतीय असैनिक सेवा के नियमों द्वारा,—जब कि वे नए कर्मचारी, जो भारत से वहां गये हैं, भारतीय सेवा के नियमों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दो प्रकार के इन नियमों के कारण "ब्रिटिश राजकोष नियमों" के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तुलना में अधिक लाभ तथा सुविधायें मिलती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन भारतीय कर्मचारियों को, जिन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार कर ली है, और जो "ब्रिटिश राजकोष नियमों" के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं पौंडों में पेंशन दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर दो प्रकार के नियम रखने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). यह सच है कि यूनाइटेड किंगडम स्थित भारतीय हाई कमीशन में ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो भारत सरकार की सेवा में वहां स्वतंत्रता से पहले से ही हैं। इन कर्मचारियों की नौकरी की शर्तें ब्रिटिश ट्रेजरी नियमों के यथानुरूप होती है इनके अलावा, वहां पर भारत-आस्थानी अधिकारी और कर्मचारी भी हैं जिनकी नौकरी की शर्तें पूरी तरह भारतीय सेवा नियमों के अनुरूप होती हैं। कार्यालयी वर्गों में स्थानीय कर्मचारियों का एक और वर्ग भी है जिसकी नौकरी की शर्तें एक खास स्कीम के अनुरूप होती हैं जिसे "लंदन लोकल काडर स्कीम" कहते हैं जिसमें वेतनमान और भत्ते रुपये में होते हैं; यह स्कीम अनिवार्यतः किफायत की दृष्टि से 1-4-63 से लागू की गई थी। यह सच है कि ब्रिटिश ट्रेजरी नियमों के अन्तर्गत आने वालों को रुपये वेतन-मान में "लंदन लोकल काडर" में काम करने वालों के मुकावले ज्यादा लाभ और सुविधायें मिलती हैं। इस दूसरे वर्ग के कर्मचारियों के भविष्य के बारे में जांच की जा रही है।

(ग) स्थानीय कर्मचारियों को पेंशन उन की राष्ट्रिकता के अनुसार नहीं दी जाती। सभी स्थानीय कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभ, अगर दिया जा सकता हो तो, पौंड स्टर्लिंग में दिया जाता है, उनकी राष्ट्रिकता चाहे कुछ भी क्यों न हो।

(घ) जैसा की ऊपर बताया जा चुका है, इस हाई कमीशन में कर्मचारियों के तीन वर्ग हैं और बदलती हुई परिस्थितियों के कारण यह अपरिहार्य था।

Bugging of Confidential Discussions at UNCTAD

10091. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news items in London "Times" of the 15th March 1968 with "Delhi, March 14" date line to the effect that a serious diplomatic dispute has developed behind the scenes at UNCTAD Conference because of the suspected attempt